# -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 30.09.2025**

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अन्तर्रजनपदीय जेबकतरा गिरोह के 03 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 91 हजार 430 रुपए व जेब काटने में प्रयुक्त सर्जिकल ब्लेड बरामद।**

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जेबकतरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि 1-गिरवां क्षेत्र के बड़ोखर बुजुर्ग के रहने वाले शिवकरन पुत्र मुरली की दिनांक 23.09.2025 को ई-रिक्शा से जाते समय साथ में सवार एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कालूकुआं ओवर ब्रिज से उसकी जेब काटकर 15 हजार रुपए निकालकर एक अन्य साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गये। 2-इसी तरह ग्राम सिकरी थाना कमासिन के रहने वाले एलआईसी बीमा अभिकर्ता रामकुमार पुत्र रामआसरे की दिनांक 26.09.2025 को एलआईसी प्रिमियम की किस्त जमा करने जाते समय नये ओवरब्रिज के पास मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति पास आकर बोले कि दिवान जी को स्टेशन तक छोड़ दो। जब वह व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर बैठाकर पंजाब आर्मरी के पास पहुंचे तो पीछे बैठा व्यक्ति उनका जेब काटकर 54 हजार रुपए निकालकर मोटरसाइकिल से कूदकर दोबारा उसी व्यक्ति के मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गया। 3-जनपद चित्रकूट, कर्वी के रहने वाले राजस्व निरीक्षक सिपाही लाल की दिनांक 12.09.2025 को ई-रिक्शा से कचहरी से जाते समय कालूकुआं ओवरब्रिज के पास साथ में बैठे अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी जेब काटकर 50 हजार रुपए निकाल लिए। इस सम्बन्ध में सभी के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में सीसीटीवी कैमरे आदि की मदद से अभियुक्तों की पहचान करते हुए आज दिनांक 30.09.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा महोखर बाइपास के पास से जेबकाटने की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 91 हजार 430 रुपए नगद, 03 सर्जिकल ब्लेड व मोबाइल फोन बरामद हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वे अपने साथियों के साथ जनपद बांदा व आस-पास के जनपदों में लोगों की जेब काटकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है। अभियुक्त मिथुन से उसके सिर पर लगे चोटों के बारे पूछने पर बताया कि दिनांक 27.09.2025 को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराकर गिरने से उसके सिर पर चोटें आई है। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है कि अभियुक्तों द्वारा और किन-किन स्थानों पर जेब काटने की घटना को अंजाम दिया गया है।

**बरामदगी-**

- 91430 रुपए (चोरी/जेबकतरी के )
- 03 मोबाइल फोन
- 03 सर्जिकल ब्लेड
- अपॉचे मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

**1.** शिवा पुत्र कन्नौजीलाल निवासी मेहरुपुर रावी थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद।

**2.** जितेन्द्र पुत्र पिल्लु निवासी मेहरुपुर रावी थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद।

**3.** मिथुन पुत्र राम नारायण निवासी मेहरुपुर रावी थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद।

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0- 773/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 774/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 775/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. श्री आशुतोष त्रिपाठी चौकी प्रभारी मण्डी समिति
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 श्री पंकज चौरसिया
4. कां0 प्रशान्त कुमार
5. कां0 सागर यादव
6. कां0 फिरोज अंसारी